उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

वर्ष 9 अंक 5 1-15 मार्च 2026 ₹ 20/-

सिविल सेवा परीक्षा में मुस्लिम अभ्यर्थियों का रिकॉर्डतोड़ चयन

- सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यूसीसी लागू करने पर जोर
- पाकिस्तान का अफगानिस्तान पर भीषण हमला
- होर्मुज संकट पर दुनिया में अकेले पड़े राष्ट्रपति ट्रम्प
- महाराष्ट्र में धर्मांतरण विरोधी विधेयक पारित

परामर्शदाता
डॉ. कुलदीप रतनू

सम्पादक
मनमोहन शर्मा*

सम्पादकीय सहयोग
शिव कुमार सिंह

कार्यालय
डी–51, प्रथम तल,
हौज खास, नई दिल्ली–110016
दूरभाषः 011–79687620

E-mail:
info@ipf.org.in
indiapolicy@gmail.com

Website:
www.ipf.org.in

मुद्रक–प्रकाशकः मनमोहन शर्मा द्वारा भारत नीति प्रतिष्ठान के लिए डी–51, प्रथम तल, हौज खास, नई दिल्ली–110016 से प्रकाशित तथा साई प्रिंटओ पैक प्रा.लि., ए–102/4, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस–2, नई दिल्ली–110020 से मुद्रित

*अनुवाद के लिए पूरी तरह जिम्मेदार

अनुक्रमणिका

सारांश 03

राष्ट्रीय

सिविल सेवा परीक्षा में मुस्लिम अभ्यर्थियों का रिकॉर्ड तोड़ चयन 04
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यूसीसी लागू करने पर जोर 08
महाराष्ट्र में धर्मांतरण विरोधी विधेयक पारित 10
फखरुद्दीन अली अहमद मेडिकल कॉलेज का नाम बदला 12
जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला पर हमला 14

विश्व

पाकिस्तान का अफगानिस्तान पर भीषण हमला 16
पाकिस्तान में इफ्तार पार्टियों पर रोक 18
ब्रिटेन में फिलिस्तीन के पक्ष में प्रदर्शन करने पर प्रतिबंध 19
मालदीव में इजरायली नागरिकों के प्रवेश पर प्रतिबंध 21
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प की हत्या की साजिश का खुलासा 22

पश्चिम एशिया

होर्मुज संकट पर दुनिया में अकेले पड़े राष्ट्रपति ट्रम्प 23
ईरान के खिलाफ युद्ध में अमेरिका का 12 अरब डॉलर खर्च 25
मोजतबा खामेनेई ईरान के नए सर्वोच्च नेता मनोनीत 26
ईरान का सीजफायर करने से इनकार 28
बहरीन में ईरानी हमलों का वीडियो फैलाने पर पाकिस्तानियों की गिरफ्तारी 30

सारांश

देश के कुछ मुस्लिम संगठनों द्वारा आमतौर पर यह आरोप लगाया जाता रहा है कि मोदी सरकार मुस्लिम विरोधी नीतियों पर चल रही है। हालांकि, हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) द्वारा जारी सिविल सेवा परीक्षा के परिणामों ने एक बार फिर इस दुष्प्रचार की कलई खोल दी है। इस वर्ष अखिल भारतीय सेवाओं के लिए रिकॉर्डतोड़ मुस्लिम अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। इस वर्ष चयनित मुस्लिम अभ्यर्थियों की कुल संख्या 53 हैं, जिनमें 13 महिलाएं भी शामिल हैं। यूपीएससी के 76 वर्षों के इतिहास में इतनी बड़ी संख्या में मुस्लिम अभ्यर्थियों का चयन पहले कभी नहीं हुआ था।

गौरतलब है कि अलपसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा इन परीक्षाओं में बैठने वाले अल्पसंख्यक अभ्यर्थियों को विशेष सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। इनमें मुफ्त कोचिंग, आवास और अध्ययन सामग्री के साथ-साथ वित्तीय सहायता भी शामिल है। इसके बावजूद उर्दू मीडिया के रुख में कोई विशेष बदलाव नजर नहीं आता। उर्दू अखबारों ने अखिल भारतीय सेवाओं में मुसलमानों के बढ़ते प्रतिनिधित्व का श्रेय मोदी सरकार की नीतियों को देने के बजाय मुस्लिम युवाओं के व्यक्तिगत परिश्रम और शासन व्यवस्था में उचित भागीदारी के प्रयासों को दिया है। इन अखबारों ने मुसलमानों से अपील की है कि वे इन परीक्षाओं में अधिक से अधिक संख्या में भाग लें ताकि देश की शासन व्यवस्था में उन्हें उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सके।

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने 'न्याय नारी फाउंडेशन' द्वारा दायर एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान देश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। अदालत ने इच्छा प्रकट की है कि भारतीय संसद इस संबंध में उचित कानून बनाए। इस संस्था ने मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) एप्लीकेशन एक्ट, 1937 की कुछ धाराओं में संशोधन की मांग की थी ताकि पैतृक संपत्ति में मुस्लिम महिलाओं को उचित हिस्सा मिल सके।

उल्लेखनीय है कि स्वतंत्रता के बाद देश में कई ऐसे कानून बने, जिनमें पैतृक संपत्ति में हिंदू महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार मिला। खेद की बात है कि ये कानून मुस्लिम महिलाओं पर लागू नहीं होते। वे आज भी शताब्दियों पुराने भेदभावपूर्ण शरिया कानूनों की शिकार हैं। शरिया के तहत उत्तराधिकार की संपत्ति में मुस्लिम महिलाओं को आमतौर पर पुरुषों की तुलना में आधा हिस्सा दिया जाता है। इस विसंगति का मूल कारण 1937 का अधिनियम है, जो मुस्लिम समुदाय पर शरिया कानून लागू करने की व्यवस्था देता है। जब भी इस कानून में सुधार की चर्चा होती है कुछ संगठनों द्वारा इसका विरोध शुरू हो जाता है।

अफगानिस्तान में स्थिति दिन-प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। अफगान सरकार के पास आधुनिक वायुसेना और बमवर्षक विमानों को रोकने के लिए कोई प्रभावी रक्षा प्रणाली नहीं है, जिसका पाकिस्तान अनुचित लाभ उठा रहा है। अंतरराष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन करते हुए पाकिस्तान अफगान हवाई सीमा में घुसपैठ कर रहा है और विभिन्न शहरों को निशाना बना रहा है। इन हमलों के कारण बड़ी संख्या में निर्दोष नागरिक मारे जा रहे हैं। हालांकि, भारत सरकार ने पाकिस्तानी हमलों में अफगान नागरिकों की मौत की कड़ी आलोचना की है, लेकिन वैश्विक समुदाय मूकदर्शक बनकर इस नरसंहार को देख रहा है।

इजरायल-ईरान युद्ध पिछले 19 दिनों से जारी है और फिलहाल इस संघर्ष के समाप्त होने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। इजरायली और अमेरिकी हमलों में ईरान के कई शीर्ष नेता और सैन्य कमांडर मारे जा चुके हैं। इसके बावजूद ईरान ने युद्ध जारी रखा है। ईरान द्वारा होर्मुज जलडमरूमध्य की नाकेबंदी के कारण एशियाई देशों की अर्थव्यवस्था चरमरा रही है, क्योंकि पेट्रोल और गैस की कीमतों में भारी वृद्धि हो रही है। इस नाकेबंदी को तोड़ने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने नाटो देशों से होर्मुज क्षेत्र में अपने युद्धपोत भेजने का अनुरोध किया था, जिसे अधिकांश देशों ने ठुकरा दिया है। खास बात यह है कि कोई भी देश इस युद्ध का हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं है।

राष्ट्रीय

सिविल सेवा परीक्षा में मुस्लिम अभ्यर्थियों का रिकॉर्डतोड़ चयन

इंकलाब (7 मार्च) के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा 2025 के सफल अभ्यर्थियों की सूची जारी कर दी गई है। राजस्थान के रहने वाले अनुज अग्निहोत्री ने पहली रैंक हासिल की है, जबकि तमिलनाडु की रहने वाली राजेश्वरी सुवे एम. ने दूसरी और हरियाणा के एकांश ढुल ने तीसरी रैंक हासिल की है। इन परीक्षाओं में मुस्लिम अभ्यर्थियों ने भी रिकॉर्डतोड़ सफलता प्राप्त की है। इस वर्ष सफल हुए कुल 958 अभ्यर्थियों में से 53 मुस्लिम हैं। वहीं, शीर्ष 30 अभ्यर्थियों में से तीन मुस्लिम हैं, जबकि पिछली बार सिर्फ 26 मुस्लिम अभ्यर्थी सफल हुए थे। खास बात यह है कि 53 सफल मुस्लिम अभ्यर्थियों में 13 महिलाएं भी शामिल हैं।

उर्दू टाइम्स (7 मार्च) के अनुसार जामिया मिल्लिया इस्लामिया की आवासीय कोचिंग अकादमी से कुल 38 अभ्यर्थियों ने सफलता प्राप्त की है, जिनमें 15 महिलाएं भी शामिल हैं। जामिया की मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (पीआरओ) सायमा सईद ने कहा कि यह सफलता अभ्यर्थियों की कड़ी मेहनत और यूनिवर्सिटी प्रशासन के मार्गदर्शन की वजह से मिली है।

कौमी तंजीम (8 मार्च) के अनुसार सिविल सेवा परीक्षा 2025 में सफल होने वाले मुस्लिम अभ्यर्थियों में केरल की 30 वर्षीय दृष्टिबाधित अभ्यर्थी जसीला जन्नत पी. भी शामिल हैं। उन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइसेंस (टीआईएसएस), मुंबई से एमए की डिग्री प्राप्त की थी। खास बात यह है कि इस बार सबसे अधिक संख्या में बिहार के मुस्लिम अभ्यर्थी सफल हुए हैं और शीर्ष 10 में भी बिहार के दो अभ्यर्थी शामिल हैं।

सिविल सेवा परीक्षा 2025 में सफल मुस्लिम अभ्यर्थियों के नाम निम्नलिखित हैं।

क्र.सं.	नाम	रैंक
1.	ए.आर. राजा मोहिद्दीन	7
2.	इफरा शम्स अंसारी	24
3.	नाबिया परवेज	29
4.	हसन खान	95

5.	आरफा उस्मानी	124
6.	खान साइमा सेराज अहमद	135
7.	वसीम उर रहमान	157
8.	सोफिया सिद्दीकी	253
9.	तौसीफ अहमद गनई	254
10.	मंताशा	307
11.	असद अकील	321
12.	मोहम्मद इश्तियाक रहमान	354
13.	मोहम्मद अश्मिल शाह	382
14.	शाहिदा बेगम एस.	411
15.	शादाब अली खान	415
16.	मोहम्मद स्वालाह टी.ए.	429
17.	शोएब	455
18.	नाजिया परवीन	478
19.	शेख मोहम्मद हबीसुद्दीन एस.	485
20.	शेख मोहम्मद निशात एम.	497
21.	मिन्हाज शकील	513
22.	गुलफिजा	535
23.	हाशमी मोहम्मद उमर	549
24.	शाहरुख खान	575
25.	असना अनवर	576
26.	मुनीब अफजल पर्राह	581
27.	अजीम अहमद	588
28.	साइस्ता परवीन	614
29.	नूर आलम	625
30.	मोहम्मद इरफान कायमखानी	646
31.	मोहसिना बानो	648
32.	गुलाम माया दीन	663
33.	दानिश रब्बानी खान	665
34.	मोहम्मद नायाब अंजुम	668
35.	मोहम्मद अबुजर अंसारी	671
36.	इंसा खान	678
37.	अब्दुल सुफियान के.	695
38.	फैरुज फातिमा एम.	708
39.	मोहम्मद हाशिम के.	713
40.	मोहम्मद सुहैल	718
41.	तौसिफ उल्ला खान	741
42.	कोह-ए-सफा	763
43.	सना आजमी	764
44.	रेशमा एम.	773
45.	यासर अहमद भट्टी	811
46.	गुलाम हैदर	832
47.	मोहम्मद शेजिन सी.पी.	860
48.	मोहम्मद एजाज उल रहमान	869
49.	अजहर आसिफ खान	886
50.	मोहम्मद सरफराज चौधरी	936
51.	अब्दुल्ला अफरीद ए.	942
52.	मोहम्मद शाहिद रजा खान	955
53.	इरफान अहमद लोन	957

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (15 मार्च) ने अपने संपादकीय में कहा है कि मुसलमानों का इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब भी उन्होंने शिक्षा को अपने जीवन का लक्ष्य बनाया तब उन्होंने न सिर्फ अपना भाग्य बदला, बल्कि शिक्षा क्षेत्र में पूरी दुनिया का नेतृत्व भी किया। बदकिस्मती से वर्तमान समय में सरकार की ओर से मुसलमानों को शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा बनाए रखने की सुनियोजित साजिश की जा रही है। इसके बावजूद सिविल सेवा परीक्षा के हालिया परिणामों ने यह साबित कर दिया है कि सरकार की नकारात्मक नीतियों के बावजूद मुसलमान अपनी सफलता के झंडे गाड़ने की काबिलियत रखते हैं। अगर मुसलमान इसी तरह शिक्षा को अपना हथियार बनाते हैं और स्वयं में आत्मविश्वास जागृत करते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें पिछड़ा नहीं रख सकती।

उर्दू टाइम्स (7 मार्च) ने अपने संपादकीय में इस बात पर जोर दिया है कि मुस्लिम छात्रों को अब डॉक्टर और इंजीनियर बनने के बजाय सिविल सेवा में जाने पर अधिक ध्यान देना चाहिए। संपादकीय में कहा गया है कि प्रशासनिक सेवाओं में शामिल होकर मुसलमानों को हर क्षेत्र में पिछड़ा रखने की सरकारी साजिश को विफल

बनाया जा सकता है। इस वर्ष कुल 53 मुस्लिम अभ्यर्थी चयनित हुए हैं, जो निश्चित रूप से शासन व्यवस्था के महत्त्वपूर्ण पदों पर आसीन होंगे। खुशी की बात है कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया, जकात फाउंडेशन और शाहीन ग्रुप जैसे संस्थान मुस्लिम युवाओं को प्रशासन में भेजने हेतु निरंतर प्रयास कर रहे हैं।

उल्लेखनीय है कि इस वर्ष जामिया मिलिया इस्लामिया की आवासीय कोचिंग अकादमी से 38 अभ्यर्थी सफल हुए हैं, जहां उन्हें मुफ्त आवास, भोजन और अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। इससे पूर्व मुंबई स्थित हज हाउस और हमदर्द फाउंडेशन जैसे संस्थानों द्वारा भी ऐसे प्रयास किए जाते थे, लेकिन किन्हीं कारणों से ये केंद्र वर्तमान में सक्रिय नहीं हैं। आज के मुस्लिम विरोधी माहौल में 53 मुस्लिम अभ्यर्थियों की यह कामयाबी एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है, लेकिन मुसलमानों को इससे संतुष्ट होने के बजाय देश के शासनतंत्र में अपनी भागीदारी और अधिक बढ़ाने के प्रयास जारी रखने चाहिए।

हमारा समाज (8 मार्च) ने अपने संपादकीय में कहा है कि मुस्लिम युवा वर्ग को देश के शासनतंत्र में अधिक से अधिक भागीदारी प्राप्त करने हेतु गंभीरतापूर्वक प्रयास करने चाहिए ताकि सरकार की मुस्लिम विरोधी नीतियों का निराकरण किया जा सके और मुसलमानों को न्याय मिल सके। यह कहना उचित होगा कि सिविल सेवा में किसी भी युवा की सफलता भारतीय लोकतंत्र की एक बड़ी विशेषता है, जो देश के प्रशासन में हर क्षमतावान व्यक्ति को भागीदार बनने का समान अवसर प्रदान करता है। समाचारपत्र ने सलाह दी है कि मुस्लिम युवाओं को देश के शासनतंत्र में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास जारी रखने चाहिए।

इंकलाब (17 मार्च) ने अपने संपादकीय में कहा है कि आधुनिक लोकतांत्रिक ढांचे में सिविल सेवा सिर्फ नौकरी नहीं, बल्कि यह देश के शासनतंत्र की रीढ़ है। खेद की बात यह है कि स्वतंत्रता के बाद देश के शासनतंत्र में मुसलमानों की भागीदारी अपेक्षा से कम रही है। सच्चर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में चिंता प्रकट की थी कि देश की सबसे बड़ी अल्पसंख्यक आबादी की सिविल सेवा में भागीदारी मात्र तीन प्रतिशत है। इस कमी को दूर करने के लिए हमदर्द दवाखाना के संस्थापक हकीम अब्दुल हमीद और वरिष्ठ नौकरशाह सैयद हामिद ने 'हममर्द स्टडी सर्कल' स्थापित कर मुस्लिम अभ्यर्थियों को यूपीएससी की तैयारी कराने की शुरुआत की थी। तब सैयद हामिद ने कहा था कि "अगर हम सत्ता की कुर्सी पर काबिज नहीं हो सकते तो कम-से-कम उसके पीछे खड़े होकर उन कुर्सियों पर बैठने वालों को राय तो दे सकते हैं।"

समाचारपत्र ने खुशी जाहिर की है कि मुसलमानों ने सरकारी उपेक्षा की शिकायत करने के बजाय इसके समाधान पर ध्यान केंद्रित किया। जकात फाउंडेशन, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और हज हाउस जैसे मुस्लिम संस्थानों ने इस दिशा में ठोस कार्य किया।

वर्तमान परिस्थितियों में दिल्ली के महंगे कोचिंग केंद्रों पर लाखों रुपये खर्च करना मुसलमानों के लिए संभव नहीं है, इसलिए मुसलमानों के संपन्न वर्ग और धार्मिक संस्थानों ने इन केंद्रों को आर्थिक सहायता प्रदान की। इसी का परिणाम है कि मुस्लिम अभ्यर्थियों के चयन का अनुपात तेजी से बढ़ा। इस वर्ष रिकॉर्ड 53 मुस्लिम अभ्यर्थी सफल हुए हैं, जो कुल सफल अभ्यर्थियों का 5.53 प्रतिशत है।

टिप्पणी: देश के प्रशासनिक ढांचे में मुसलमानों के घटते प्रतिनिधित्व पर पिछले कई दशकों से चिंता व्यक्त की जा रही है। 1983 में भारत सरकार ने उच्च सरकारी नौकरियों में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व के बारे में अध्ययन करने के लिए डॉ. गोपाल सिंह कमेटी का गठन किया था। इस रिपोर्ट में यह निष्कर्ष निकाला गया था कि देश के प्रशासनिक ढांचे में सिखों और ईसाइयों का योगदान संतोषजनक है, जबकि मुसलमानों का प्रतिनिधित्व लगातार घट रहा है। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि देश में आईएएस अधिकारियों की कुल संख्या 3975 है। इनमें से 165 सिख, 128 मुसलमान और 109 ईसाई हैं। आईपीएस अधिकारियों की कुल संख्या 2159 है, जिनमें से 117 सिख, 57 मुसलमान और 49 ईसाई हैं। उस समय आईएएस में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व 3.22 प्रतिशत और आईपीएस में 2.64 प्रतिशत था, जबकि देश में मुसलमानों की जनसंख्या लगभग 12 प्रतिशत थी।

2006 में इन्हीं आंकड़ों के आधार पर राजेंद्र सच्चर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में यह निष्कर्ष निकाला था कि अखिल भारतीय सेवाओं में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या की तुलना में काफी कम है।

आंकड़ों के अनुसार इससे पहले 2016 की सिविल सेवा परीक्षा में सर्वाधिक 52 मुस्लिम अभ्यर्थी सफल हुए थे। इसके बाद 2023 में 51 मुस्लिम अभ्यर्थियों ने सफलता प्राप्त की। वहीं, 2009 में 31, 2010 में 21, 2011 में 31, 2012 में 30, 2013 में 34, 2014 में 38, 2015 में 34, 2017 में 50, 2018 में 28, 2019 में 44, 2020 में 31, 2021 में 25 और 2022 में 29 मुस्लिम अभ्यर्थी सफल हुए थे। पिछले साल (2024) सिर्फ 26 मुस्लिम अभ्यर्थी ही सफल हो पाए थे।

खास बात यह है कि देश के 10 मुस्लिम संस्थानों द्वारा मुस्लिम अभ्यर्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करने हेतु 51 केंद्रों का संचालन किया जा रहा है। इन केंद्रों में अभ्यर्थियों के लिए मुफ्त आवास, भोजन और अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। इसके साथ-साथ इनके मार्गदर्शक के रूप में सेवानिवृत्त मुस्लिम उच्चाधिकारी अपनी नि:शुल्क सेवाएं भी प्रदान कर रहे हैं।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यूसीसी लागू करने पर जोर

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (11 मार्च) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय ने मुस्लिम महिलाओं के उत्तराधिकार से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई के दौरान कुछ महत्त्वपूर्ण टिप्पणियां की हैं। अदालत ने कहा कि अब समय आ गया है कि देश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने के बारे में गंभीरतापूर्वक विचार किया जाए। हालांकि, अदालत ने यह भी कहा है कि शरीयत कानून से संबंधित धाराओं को रद्द करना एक बहुत ही संवेदनशील मामला है। इस विषय पर संसद ही कोई ठोस निर्णय ले सकती है। इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने की। इस खंडपीठ में न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति आर. महादेवन भी शामिल थे।

उल्लेखनीय है कि यह खंडपीठ मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) एप्लीकेशन एक्ट, 1937 की कुछ धाराओं को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में तर्क दिया गया है कि यह कानून मुस्लिम महिलाओं के प्रति भेदभावपूर्ण है, क्योंकि यह उन्हें पुरुषों की तुलना में संपत्ति में केवल आधा हिस्सा ही प्रदान करता है। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि अगर अदालत शरीयत कानून में संपत्ति के बंटवारे से संबंधित धाराओं को रद्द कर देती है तो इससे एक कानूनी रिक्तता पैदा हो सकती है। इसका कारण यह है कि वर्तमान समय में मुसलमानों में संपत्ति के बंटवारे से संबंधित कोई अन्य स्पष्ट कानून नहीं है।

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने तर्क दिया कि मुसलमानों से संबंधित 1937 के कानून की कुछ धाराएं संविधान द्वारा प्रत्येक नागरिक को दिए गए समानता के अधिकार का उल्लंघन करती हैं। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने प्रशांत भूषण से कहा कि इस कानून में सुधार के लिए जल्दबाजी में कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जाना चाहिए जिससे महिलाओं को उनके मौजूदा अधिकारों से भी कम अधिकार मिले। न्यायमूर्ति बागची ने स्पष्ट किया कि याचिका में भेदभाव का मामला काफी मजबूत है, लेकिन इस संबंध में संसद द्वारा निर्णय लेना ही अधिक उचित होगा। उन्होंने कहा कि संविधान के मार्गदर्शक सिद्धांतों के तहत यूसीसी लागू करने की जिम्मेदारी संसद को दी गई है। अदालत ने यह भी

दोहराया कि वह पहले भी कई बार देश में यूसीसी लागू करने की सिफारिश कर चुकी है।

प्रशांत भूषण ने तर्क दिया कि अदालत यह स्पष्ट निर्देश दे सकती है कि मुस्लिम महिलाओं को संपत्ति के बंटवारे में पुरुषों के बराबर हिस्सा मिलना चाहिए। उनका यह भी कहना था कि अगर शरीयत कानून की विवादित धाराओं को हटा दिया जाता है तो ऐसे मामलों में भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 लागू किया जा सकता है।

इंकलाब (11 मार्च) के अनुसार याचिकाकर्ताओं के वकील प्रशांत भूषण ने तर्क दिया कि जिस प्रकार तीन तलाक को असंवैधानिक और अवैध घोषित किया गया उसी आधार पर मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) अधिनियम, 1937 की भेदभावपूर्ण धाराओं को भी रद्द किया जाना चाहिए। इस पर न्यायमूर्ति बागची ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के एक पुराने फैसले का उल्लेख करते हुए कहा कि क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ को संवैधानिक जांच के दायरे में लाया जा सकता है, यह एक विचारणीय प्रश्न है। प्रशांत भूषण ने अपनी दलील में कहा कि उत्तराधिकार का मामला नागरिक अधिकारों से जुड़ा है, इसलिए इसे संविधान की धारा 25 (धार्मिक स्वतंत्रता) के तहत संरक्षण नहीं मिलना चाहिए। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि इस समस्या का स्थाई समाधान तो यूसीसी ही है और बेहतर होगा कि कानून बनाने का काम संसद पर छोड़ दिया जाए। खंडपीठ ने यह भी कहा कि अगर कोई मुस्लिम महिला स्वयं अदालत में याचिका दायर करती है तो अदालत उसमें हस्तक्षेप कर सकती है। इस पर प्रशांत भूषण ने कहा कि याचिकाकर्ताओं में कुछ मुस्लिम महिलाएं भी शामिल हैं। अंत में खंडपीठ ने भूषण को मशवरा दिया कि वे अपनी मूल याचिका में संशोधन करें और उसमें यह सुझाव भी शामिल करें कि अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ कानून, 1937 को खत्म किया जाता है तो उसका वैकल्पिक समाधान क्या होगा?

एतेमाद (13 मार्च) के अनुसार ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने न्याय नारी फाउंडेशन की उस मांग को शरारतपूर्ण करार दिया है, जिसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) अधिनियम, 1937 की कुछ धाराओं को रद्द करने की मांग की गई है। बोर्ड के प्रवक्ता सैयद कासिम रसूल इलियास ने कहा कि बॉम्बे उच्च न्यायालय पहले ही यह निर्णय दे चुका है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ को संवैधानिक जांच के दायरे में नहीं लाया जा सकता। उन्होंने तर्क दिया कि मुस्लिम उत्तराधिकार कानून को अनिवार्य धार्मिक प्रथा न मानना अज्ञानता है। शरीयत कानून सीधे कुरान और सुन्नत पर आधारित है, जिसका पालन करना हर मुसलमान का धार्मिक कर्तव्य है। यह कहना गलत है कि शरीयत कानून महिलाओं के साथ भेदभाव करता है। इस्लाम में पुरुषों और महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिया गया है, लेकिन उनकी जिम्मेदारियां अलग हैं। महिलाओं के

गुजारे और घर के पूरे खर्च की जिम्मेदारी पुरुषों पर है, जबकि महिलाओं को इससे मुक्त रखा गया है।

इलियास ने कहा कि सरकार मुस्लिम महिलाओं के साथ भेदभाव की आड़ में शरीयत कानून में हस्तक्षेप करने का बहाना ढूंढ रही है। भारतीय मुसलमान इसे हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने दावा किया कि पांच करोड़ से अधिक मुसलमानों ने विधि आयोग के सामने यूसीसी के विरोध में अपने सुझाव दिए हैं। इनमें महिलाएं भी शामिल हैं। इलियास ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय को शरीयत कानून में हस्तक्षेप करके उत्तराधिकार के मामलों में संशोधन करने का अधिकार नहीं है।

कौमी तंजीम (12 मार्च) ने अपने संपदाकीय में मुस्लिम पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप करने की कोशिश का कड़ा विरोध किया है। समाचारपत्र ने कहा है कि पर्सनल लॉ सिर्फ मुसलमानों का ही नहीं, बल्कि कई अन्य धार्मिक समुदायों के भी अपने पर्सनल लॉ हैं। अजीब बात है कि उत्तराखंड जैसे राज्यों में लागू यूसीसी को सिर्फ मुसलमानों तक ही सीमित रखा गया है और अन्य वर्गों को इससे मुक्त रखा गया है। इससे साफ है कि सिर्फ मुसलमानों को ही निशाना बनाया जा रहा है।

इंकलाब (15 मार्च) ने कहा है कि संविधान सभा के कई मुस्लिम सदस्यों और विशेष रूप से मुस्लिम लीग के मोहम्मद इस्माइल और नजीरुद्दीन अहमद ने यूसीसी को संविधान के मार्गदर्शक सिद्धांतों में शामिल करने का कड़ा विरोध किया था। उन्होंने इसे मुसलमानों की धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ बताया था। संविधान सभा में हुई बहस के दौरान वक्ताओं ने यह तर्क दिया था कि संविधान की धारा 25 और 26 में प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म को मानने और उसके अनुसार आचरण करने की गारंटी दी गई है, इसलिए मुसलमानों के धार्मिक अधिकारों और उनके पर्सनल लॉ पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए।

उल्लेखनीय है कि मोदी सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान विधि आयोग ने अगस्त 2018 में देश में यूसीसी लागू करने के बारे में सरकार को अपनी विस्तृत रिपोर्ट पेश की थी। इस रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि भारत जैसे विभिन्न धर्मों, संस्कृतियों और विचारधाराओं वाले देश में यूसीसी लागू करना संभव नहीं है। अजीब बात है कि विधि आयोग की इस स्पष्ट राय के बावजूद सर्वोच्च न्यायालय बार-बार सरकार को यूसीसी लागू करने की सलाह दे रहा है। हाल ही में उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने राज्य में यूसीसी लागू किया है। हालांकि, आदिवासियों को इससे मुक्त रखा गया है। अब भाजपा शासित अन्य राज्य सरकारें भी जबरन यूसीसी लागू करने की संभावनाएं तलाश रही हैं। हालांकि, यह अल्पसंख्यकों को संविधान में दी गई सुरक्षा की भावना के बिल्कुल उलट है।

महाराष्ट्र में धर्मांतरण विरोधी विधेयक पारित

औरंगाबाद टाइम्स (17 मार्च) के अनुसार महाराष्ट्र विधानसभा में भारी बहस के बाद 'धर्म की स्वतंत्रता विधेयक-2026' को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया है। महायुति सरकार ने इस विधेयक को वर्तमान समय की आवश्यकता बताते हुए इसका पुरजोर समर्थन किया। शिवसेना (यूबीटी) ने भी इस विधेयक का समर्थन किया है, जबकि विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी में इस मुद्दे पर स्पष्ट मतभेद थे। कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट) और समाजवादी पार्टी समेत कुछ विपक्षी दलों ने इस विधेयक का विरोध किया। इस विधेयक में सामान्य मामलों में प्रलोभन या धोखे से धर्मांतरण कराने वाले लोगों के लिए सात साल की जेल और एक से पांच

लाख तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। वहीं, महिलाओं, नाबालिगों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के मामलों में 10 वर्ष तक की जेल और सात लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।

इंकलाब (15 मार्च) के अनुसार महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री डॉ. पंकज भोयर ने सदन में विधेयक पेश करते हुए कहा कि स्वैच्छिक धर्मांतरण के लिए 60 दिन पहले जिलाधिकारी को लिखित नोटिस देना अनिवार्य होगा। अवैध धर्मांतरण से हुई शादी निरस्त मानी जाएगी। अब इस विधेयक को राज्य विधान परिषद में पेश किया जाएगा। विधानसभा में चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने कहा कि यह कानून किसी विशेष वर्ग के खिलाफ नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य जबरन, धोखे से या प्रलोभन से होने वाले धर्मांतरण को रोकना है। उन्होंने कहा कि उड़ीसा, अरूणाचल प्रदेश, मेघालय, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक और राजस्थान समेत कई राज्यों में धर्मांतरण विरोधी कानून पहले से ही लागू हैं। इसी को देखते हुए महाराष्ट्र ने भी ऐसा कानून लागू करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान की धारा 25 प्रत्येक नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देती है। जो लोग स्वेच्छा से अपना धर्म बदलना चाहते हैं उनके लिए रास्ता खुला है। उन्हें सिर्फ निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होगा।

इस विधेयक का समर्थन करते हुए शिवेसना (यूबीटी) के भास्कर जाधव ने कहा कि इसका उद्देश्य धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करना और अवैध धर्मांतरण को रोकना है। बहस के दौरान एनसीपी (शरद पवार गुट) के विधायक जितेन्द्र आव्हाड ने इस विधेयक का विरोध किया। उन्होंने इस अवसर पर छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक का उल्लेख किया तो सदन में हंगामा मच गया।

इंकलाब (15 मार्च) के अनुसार इस विधेयक में यह प्रावधान है कि धर्मांतरण करने वाले व्यक्ति के माता-पिता, सगे-संबंधी या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो उससे खून, विवाह या गोद लेने के रिश्तों से जुड़ा हो, वह इस अवैध धर्मांतरण की शिकायत पुलिस में कर सकता है। अगर जांच के बाद पुलिस शिकायत को उचित पाती है तो वह धर्मांतरण कराने वाले व्यक्ति या संस्था के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सकती है। इस विधयेक की सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि अगर किसी व्यक्ति पर अवैध धर्मांतरण से संबंधित मुकदमा दर्ज होता है तो बेगुनाही साबित करने की जिम्मेदारी आरोपी की होगी। अवैध धर्मांतरण से प्रभावित व्यक्ति के पुनर्वास के लिए सरकार सहायता प्रदान करेगी। साथ ही सरकार अवैध धर्मांतरण में लिप्त पाए जाने वाले किसी भी संगठन को किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता या अनुदान नहीं देगी।

एतेमाद (6 मार्च) के अनुसार महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने इस विधेयक के मसौदे को अपनी मंजूरी दे दी थी। यह कानून विशेष रूप से राज्य में लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए लाया गया है। भाजपा नेता और राज्य के मंत्री नितेश राणे ने कहा कि

चुनाव के दौरान महायुति सरकार ने महाराष्ट्र में जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए एक सख्त कानून लाने का वादा किया था, जिसे मुख्यमंत्री फडणवीस ने पूरा किया है।

हिंदुस्तान (15 मार्च) ने अपने संपादकीय में कहा है कि इस कानून का सीधा लक्ष्य अल्पसंख्यकों को संविधान द्वारा दी गई धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का हनन करना है। भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को अपनी इच्छा और पसंद का धर्म चुनने का अधिकार देता है। साथ ही उसे अपने धर्म का प्रचार-प्रसार करने की भी पूरी आजादी मिली हुई है। इसके बावजूद मुस्लिम विरोधी पार्टी भाजपा वोटों के ध्रुवीकरण के लिए यह कानून लेकर आई है। समाचारपत्र का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति अपना मूल धर्म छोड़कर इस्लाम या ईसाई धर्म अपनाता है तो यह न तो संविधान के खिलाफ है और न ही देश के किसी मौजूदा कानून का उल्लंघन है।

समाचारपत्र ने कहा है कि भाजपा द्वारा लव जिहाद के मुद्दे को व्यापक रूप से उछाला जा रहा है। हालांकि, यह मुद्दा निहित राजनीतिक उद्देश्यों के तहत बार-बार उठाया जाता है। सच्चाई यह है कि सत्तारूढ़ दल अपने राजनीतिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए इस कानून को लागू करना चाहता है। इसका मुख्य लक्ष्य इस्लाम और ईसाई धर्म के प्रसार को रोकना है, जबकि संविधान में सभी धर्मों को अपने-अपने धर्म का प्रचार-प्रसार करने की अनुमति दी गई है। इस विधेयक के पारित होने से अल्पसंख्यकों और विशेष रूप से मुसलमानों में भय का वातावरण व्याप्त हो गया है। उन्हें यह डर है कि सरकार इस कानून की आड़ में तब्लीग (धर्म प्रचार) को निशाना बनाकर इस्लाम और ईसाइयत के प्रसार को रोकना चाहती है।

फखरुद्दीन अली अहमद मेडिकल कॉलेज का नाम बदला

इंकलाब (12 मार्च) के अनुसार मुसलमानों से नफरत के मामले में बदनाम असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने घोषणा की है कि राज्य मंत्रिमंडल ने फखरुद्दीन अली अहमद मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर बारपेटा मेडिकल कॉलेज रखने का फैसला किया है। यह मेडिकल कॉलेज यूपीए के कार्यकाल में 2011 में स्थापित किया गया था और इसका नाम भारत के पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के नाम पर रखा गया था। समाचारपत्र ने कहा है कि राज्य की भाजपा सरकार ने आगामी विधानसभा चुनाव में बहुसंख्यक मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए यह नया दांव खेला है।

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि राज्य के सभी 15 मेडिकल कॉलेजों के नाम उन जिलों के नाम पर रखे गए हैं, जहां वे स्थित हैं। उदाहरण के तौर पर गुवाहाटी में स्थित मेडिकल कॉलेज का नाम गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज है और धुबरी में स्थित मेडिकल कॉलेज का नाम धुबरी मेडिकल कॉलेज है। यही कारण है कि राज्य

मंत्रिमंडल ने बारपेटा स्थित फखरुद्दीन अली अहमद मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर बारपेटा मेडिकल कॉलेज रखने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद देश के एक प्रमुख नेता थे और वे असम से थे, इसलिए उनके नाम पर किसी अन्य संस्थान का नाम रखा जाएगा।

जमीयत उलेमा ने राज्य सरकार के इस फैसले की कड़ी आलोचना करते हुए इसे मुस्लिम विरोधी मानसिकता से लिया गया फैसला करार दिया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी सरकार के इस फैसले की आलोचना करते हुए कहा है कि सत्तारूढ़ पार्टी देशभर में मुसलमानों से जुड़े नामों को बदलने का अभियान चला रही है। यह अभियान उसी कड़ी का एक हिस्सा है।

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (16 मार्च) ने अपने संपादकीय में फखरुद्दीन अली अहमद मेडिकल कॉलेज का नाम बदलने के फैसले की कड़ी आलोचना की है। समाचारपत्र का तर्क है कि भाजपा को आगामी विधानसभा चुनाव में फिर से सत्ता में आने में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए वह सांप्रदायिक मुद्दे को उछाल रही है। असम विधानसभा की कुल 126 सीटों में से 40 सीटों पर मुस्लिम जनसंख्या 40 प्रतिशत से अधिक है। पिछले चुनाव में इनमें से 15 सीटों पर बदरुद्दीन अजमल की पार्टी ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (एआईयूडीएफ) ने जीत दर्ज की थी। एआईयूडीएफ द्वारा कांग्रेस के साथ चुनावी गठबंधन करने से इनकार करने के कारण मुस्लिम वोटों में विभाजन हुआ, जिसका सीधा लाभ भाजपा को मिला और वह सत्ता में आ गई। वहीं, कांग्रेस ने 126 में से 29 सीटें जीती थी। मुस्लिम वोटों में विभाजन का लाभ भाजपा को मिला और उसने मुस्लिम बहुल सात सीटों पर जीत दर्ज कर ली। अगर अजमल की पार्टी और कांग्रेस मिलकर एक सेक्युलर फ्रंट बनाते तो चुनाव परिणाम काफी अलग हो सकते थे।

समाचारपत्र ने लिखा है कि असम में मुस्लिम जनसंख्या लगभग 37 प्रतिशत है, जबकि हिंदुओं की जनसंख्या 60 प्रतिशत और ईसाइयों की जनसंख्या लगभग चार प्रतिशत है। भाजपा और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी चुनाव में हिंदू मतों के धुव्रीकरण के लिए 'मुस्लिम घुसैपिठए' के मुद्दे को प्रमुखता से उठा रहे हैं। वे इस बात पर जोर दे रहे

हैं कि असम में रहने वाले अधिकांश मुसलमान बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं और उन्हें वापस बांग्लादेश भेज दिया जाएगा। पिछली बार भाजपा की सफलता का एक बड़ा कारण असम गण परिषद जैसी स्थानीय पार्टियों के साथ उसका गठबंधन था। हिमंत बिस्वा सरमा की मुस्लिम विरोधी नीतियों के कारण इस बार राज्य का राजनीतिक माहौल बदल सकता है।

जम्मू–कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला पर हमला

औरंगाबाद टाइम्स (13 मार्च) के अनुसार नेशनल कांफ्रेंस के अध्यक्ष और जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला जब जम्मू में एक शादी समारोह में भाग ले रहे थे तो एक व्यक्ति ने उन पर गोली चलाई, लेकिन सुरक्षाकर्मियों की सतर्कता के कारण वे बाल-बाल बच गए। सुरक्षाकर्मियों ने हमलावर को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। गौरतलब है कि फारूक अब्दुल्ला को जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है।

इस घटना पर टिप्पणी करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मैं हमलावर को नहीं जानता। मुझे यह भी मालूम नहीं कि उसने मुझ पर क्यों हमला किया और उसकी मुझसे क्या दुश्मनी थी? उन्होंने कहा कि जब मैं शादी समारोह से बाहर निकल रहा था तब मुझे लगा कि वह शादी समारोह में चलाए जाने वाले पटाखों की आवाज है। सुरक्षाकर्मियों ने मुझे तुरंत वहां से निकालकर कार में बैठा दिया। बाद में उन्होंने मुझे बताया कि वह गोली की आवाज थी और मुझ पर चलाई गई थी। फारूक अब्दुल्ला ने आगे कहा कि इस शादी समारोह में जम्मू-कश्मीर के उपमुख्यमंत्री और कई अन्य मंत्री भी शामिल थे, लेकिन राज्य सरकार और विशेष रूप से उपराज्यपाल ने सुरक्षा की कोई उचित व्यवस्था नहीं की थी। उन्होंने कहा कि मेरे पास केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का फोन आया था। शाह ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे इस घटना की उच्चस्तरीय जांच करवा रहे हैं।

अब्दुल्ला ने आरोप लगाया कि देश में नफरत का माहौल फैला हुआ है और दिन-प्रतिदिन इसमें बढ़ोतरी हो रही है। दोस्ती और मोहब्बत की बात करने वालों के लिए कोई जगह नहीं बची है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन सबको मिलकर काम करना

चाहिए और सभी को अपनी बात रखने का अधिकार मिलना चाहिए।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में फारूक अब्दुल्ला पर हुए जानलेवा हमले का मुद्दा उठाते हुए कहा कि सरकार ने धारा 370 को हटाकर जम्मू-कश्मीर को जो विभाजित किया है उसके कारण दिन-प्रतिदिन स्थिति बिगड़ रही है और विदेशी आतंकवादी निर्दोष लोगों की हत्या कर रहे हैं। उन्होंने जम्मू-कश्मीर के पूर्ण राज्य के दर्जे को बहाल करने की मांग की। खड़गे ने कहा कि जब जम्मू-कश्मीर पूर्ण राज्य था तब वहां की पुलिस और सुरक्षा का जिम्मा राज्य सरकार के अधीन था, लेकिन अब सुरक्षा का जिम्मा केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन है। इससे हालात बिगड़ते जा रहे हैं। यहां तक कि राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को भी निशाना बनाने की साजिशें हो रही हैं। अगर थोड़ी सी चूक हो जाती तो फारूक अब्दुल्ला का बचना मुश्किल था।

चट्टान (13 मार्च) के अनुसार फारूक अब्दुल्ला पर हमला करने वाले आरोपी की पहचान 63 वर्षीय कमल सिंह जमवाल के रूप में हुई है, जो जम्मू के पुरानी मंडी इलाके का रहने वाला है। पूछताछ के दौरान उसने बताया कि वह पिछले 20 वर्षों से फारूक अब्दुल्ला पर हमला करने की तैयारी कर रहा था। जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने नेशनल कांफ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला से बातचीत की और उन्हें आश्वासन दिया कि हमले की जांच करवाई जा रही है। इस संबंध में पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिया गया है कि वे इस साजिश का पर्दाफाश करें और दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें।

एक अन्य समाचार के अनुसार जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अपने पिता फारूक अब्दुल्ला पर हुए हमले पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने में विफल रही है।

समाचारपत्र ने कहा है कि नेशनल कांफ्रेंस ने इस हमले के विरोध में राज्य के कई स्थानों पर विरोध प्रदर्शन किए हैं। प्रदर्शनकारियों ने पार्टी के झंडे और प्लेकार्ड उठा रखे थे, जिन पर लिखा था- 'शांति व्यवस्था बहाल करो' और 'फायरिंग की घटना की जांच करवाओ'। जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती, सज्जाद लोन और तारिक हमीद कर्रा समेत कई कश्मीरी नेताओं ने फारूक अब्दुल्ला पर हुए हमले की निंदा की है। उन्होंने इस हमले के लिए केंद्र सरकार को दोषी ठहराया है और जम्मू-कश्मीर के पूर्ण राज्य के दर्जे को बहाल करने की मांग की है।

पाकिस्तान का अफगानिस्तान पर भीषण हमला

इंकलाब (18 मार्च) के अनुसार पाकिस्तानी सेना ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर अंधाधुंध बमबारी की है। इस हमले में कम-से-कम 400 लोग मारे गए हैं और 250 घायल हुए हैं। स्थानीय मीडिया के अनुसार यह हमला दो हजार बिस्तरों वाले ओमिद नशा मुक्ति अस्पताल पर किया गया। तालिबान के उप प्रवक्ता हमदुल्लाह फितरत के अनुसार इस हमले में अस्पताल का एक बड़ा हिस्सा तबाह हो गया है और रेस्क्यू टीमें मलबे को हटाने में लगी हुई हैं। मृतकों की संख्या में और भी वृद्धि होने की संभावना है। फितरत ने कहा कि पाकिस्तान की यह कार्रवाई अंतरराष्ट्रीय नियमों के विरुद्ध है और उसने जानबूझकर इस अस्पताल को अपना निशाना बनाया है। वहीं, पाकिस्तान का दावा है कि यह कार्रवाई आतंकवादी ठिकानों पर की गई है।

भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि अस्पताल पर हमला करना मानवता के विरुद्ध है। उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान इस नरसंहार को सैन्य कार्रवाई का नाम देने की कोशिश कर रहा है।

कौमी तंजीम (15 मार्च) ने तालिबान के एक सरकारी प्रवक्ता के हवाले से कहा है कि पाकिस्तानी हमलों के जवाब में अफगान सैनिकों की कार्रवाई में कम-से-कम 14 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं और 11 घायल हुए हैं। अफगान रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने दावा किया है कि अफगान सैनिकों ने सीमावर्ती कुनार और नंगरहार प्रांतों में स्थित पाकिस्तानी सैन्य चौकियों पर हमला किया। इस हमले में पाकिस्तानी सेना के तीन टैंक और दो बख्तरबंद गाड़ियां तबाह हो गईं।

गौरतलब है कि इससे पहले पाकिस्तानी राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने तालिबान सरकार को चेतावनी दी थी कि अगर उन्होंने पकिस्तानी सेना पर हमला किया तो उन्हें इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। वहीं, पाकिस्तान सरकार का दावा है कि पाकिस्तानी सेना ने अफगानिस्तान स्थित आतंकवादियों के ठिकानों पर 200 से

अधिक रॉकेट दागे थे, जिनमें कम-से-कम 100 आतंकवादी मारे गए।

चट्टान (4 मार्च) के अनुसार पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने दावा किया है कि अफगान तालिबान ने बलूचिस्तान के किला सैफुल्लाह, नुश्की और चमन जिलों में 16 स्थानों पर हमले किए हैं, जबकि 25 स्थानों पर पाकिस्तानी सेना और अफगान सैनिकों के बीच झड़पें हुई हैं। तरार ने कहा कि इन हमलों में पाकिस्तानी सेना को कोई नुकसान नहीं हुआ है। उन्होंने यह भी दावा किया कि पाकिस्तानी सेना की जवाबी कार्रवाई में 27 अफगान तालिबान मारे गए हैं। दूसरी ओर, अफगान प्रवक्ता ने दावा किया है कि इन हमलों में 75 से अधिक पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं, जिनमें एक कर्नल और दो मेजर भी शामिल हैं। उन्होंने यह भी पुष्टि की है कि पाकिस्तानी वायु सेना ने अफगानिस्तान के चार शहरों पर हमले किए हैं। इसके अतिरिक्त सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया गया है, जिनमें कई लोग मारे गए हैं।

चट्टान (8 मार्च) के अनुसार अफगान तालिबान के संस्थापक मुल्ला मोहम्मद उमर के बेटे और अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री मुल्ला याकूब मुजाहिद ने चेतावनी दी है कि अगर पाकिस्तान ने काबुल पर हमले जारी रखा तो हम इस्लामाबाद पर भी जवाबी हमला करेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि हम पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं चाहते, लेकिन अगर हम पर युद्ध थोपा गया तो हम पाकिस्तान के खिलाफ अगले 10 सालों तक युद्ध लड़ने के लिए तैयार हैं। मुजाहिद ने कहा कि अगर पाकिस्तान ने एक भी अफगान नागरिक की हत्या की तो हम एक दर्जन पाकिस्तानियों को निशाना बनाएंगे। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के इस दावे को खारिज करते हैं कि 'डूरंड लाइन' दोनों देशों की सीमा रेखा है। मुजाहिद ने दावा किया कि 1893 में ब्रिटिश सरकार ने अफगानिस्तान के तत्कालीन अमीर अब्दुर रहमान खान पर दबाव डालकर यह सीमा रेखा तय की थी। उन्होंने इसे अवैध बताते हुए कहा कि यह सीमा रेखा अफगानों के सीने पर बंदूक रखकर तय की गई थी, जिसे हम कभी मान्यता नहीं देंगे।

दूसरी ओर, पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने दावा किया है कि पाकिस्तानी सेना की कार्रवाई में अब तक 527 आतंकवादी मारे गए हैं और 700 से अधिक घायल हुए हैं।

चट्टान (7 मार्च) के अनुसार संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) के उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने कहा कि पिछले सप्ताह पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ हुई झड़पों में 24 बच्चों समेत 56 अफगान नागरिक मारे गए हैं। उन्होंने सीमा पर तनाव को खत्म करने पर जोर दिया और दोनों देशों से शांति बनाए रखने की अपील की।

इसी समाचारपत्र ने एक अन्य समाचार में संयुक्त राष्ट्र के हवाले से दावा किया है कि दोनों देशों के बीच सीमा पर जारी संघर्ष के कारण एक लाख से अधिक अफगान और हजारों पाकिस्तानी बेघर हो गए हैं। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने दावा किया है कि अफगान में लगभग 1 लाख 15

हजार और पाकिस्तान में लगभग तीन हजार लोग विस्थापित हुए हैं।

उर्दू टाइम्स (13 मार्च) के अनुसार पाकिस्तान सरकार ने दावा किया है कि अफगान सैनिकों द्वारा दागे गए एक मोर्टार शेल के गिरने से खैबर जिले की तिराह घाटी में एक ही परिवार के पांच लोग मारे गए हैं।

चट्टान (14 मार्च) के अनुसार तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने दावा किया है कि पाकिस्तानी सेना के हमले में कंधार में एक ही परिवार के कई लोग मारे गए हैं। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने दावा किया है कि पाकिस्तान के कोहाट स्थित सैन्य छावनी पर किए गए एक ड्रोन हमले में कम-से-कम 12 सैनिक मारे गए हैं। वहीं, पाकिस्तान सरकार का दावा है कि इस हमले में उसके किसी भी सैनिक की मौत नहीं हुई है। अफगान सरकार के एक प्रवक्ता ने यह भी जानकारी दी कि कुछ देशों के सहयोग से पाकिस्तान के साथ युद्धविराम वार्ता शुरू की गई थी। हालांकि, यह वार्ता विफल रही, क्योंकि हमें पाकिस्तान की नीयत पर संदेह है।

चट्टान (15 मार्च) के अनुसार अफगान तालिबान ने आरोप लगाया है कि शुक्रवार की रात पाकिस्तानी सेना ने काबुल पर हमला किया, जिसमें एक दर्जन से अधिक अफगान नागरिक मारे गए। वहीं, पाकिस्तान ने दावा किया है कि उसकी वायु सेना ने कंधार हवाई अड्डे पर हमले के दौरान तेल के भंडार और अफगान सेना के रडार केंद्रों को नष्ट किया है।

चट्टान (16 मार्च) के अनुसार अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि दोनों देशों के बीच सीमा पर झड़प जारी है। इन झड़पों में 24 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं और 35 घायल हुए हैं। पाकिस्तानी सेना सीमावर्ती चौकियों से हथियार छोड़कर भाग गई है। अफगान सेना ने इन चौकियों पर कब्जा कर लिया है। इसके अतिरिक्त पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद स्थित पाकिस्तानी सेना के सामरिक केंद्र पर हुए ड्रोन हमले में कम-से-कम 20 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं।

पाकिस्तान में इफ्तार पार्टियों पर रोक

कौमी तंजीम (12 मार्च) के अनुसार पश्चिम एशिया में जारी युद्ध को देखते हुए पाकिस्तान सरकार ने सरकारी कार्यालयों को सप्ताह में सिर्फ चार दिन ही खोलने की घोषणा की है। साथ ही 50 प्रतिशत कर्मचारी घर से काम करेंगे। हालांकि, यह फैसला बैंकों पर लागू नहीं होगा। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालयों, स्कूलों और कॉलेजों को दो सप्ताह के लिए बंद करने की घोषणा की गई है। राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि पूरा पश्चिम एशिया युद्ध की चपेट में है और हम इससे निपटने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने इस युद्ध के बारे में मित्र देशों से बातचीत की है और भरोसा दिलाया है कि इस नाजुक समय में पाकिस्तान

उनके साथ दृढ़ता से खड़ा है। उन्होंने ईरान से अपील की है कि वह मुस्लिम देशों को अपना निशाना न बनाए।

शरीफ ने कहा कि युद्ध के कारण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल और गैस के दाम बढ़े हैं, लेकिन सरकार ने इनकी कीमतों में बढ़ोतरी न करने का फैसला किया है ताकि जनता पर अत्यधिक आर्थिक बोझ न पड़े। तेल कंपनियों को होने वाले आर्थिक नुकसान का वहन पाकिस्तान सरकार करेगी। ईंधन बचाने के लिए सभी सरकारी विभागों के 60 प्रतिशत वाहनों के परिचालन पर रोक लगा दी गई है। उन्होंने यह भी घोषणा की कि सरकारी मंत्रियों, सलाहकारों और विशेष सहायकों को अगले दो महीने तक वेतन नहीं मिलेगा। इसके साथ ही सांसदों के वेतन में भी 25 प्रतिशत कटौती की घोषणा की गई है। शहबाज शरीफ ने कहा कि सभी मंत्रियों और अधिकारियों के विदेश दौरे पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। इस दौरान सरकारी भोज और इफ्तार पार्टियों पर भी पूरी तरह से रोक रहेगी।

इंकलाब (10 मार्च) के अनुसार बांग्लादेश सरकार ने भी पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के कारण उत्पन्न ऊर्जा संकट को देखते हुए देश के सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को बंद करने की घोषणा की है। यह फैसला बिजली और ईंधन की खपत कम करने के लिए किया गया है। ईद की छुट्टियां भी समय से पहले घोषित कर दी गई हैं ताकि बिजली की खपत कम की जा सके। इसके अतिरिक्त सरकार ने देशवासियों से अपील की है कि वे ईद के आयोजनों पर धन खर्च करने के बजाय उस राशि को ईरान के युद्ध पीड़ितों की सहायता के लिए इकट्ठा करें।

ब्रिटेन में फिलिस्तीन के पक्ष में प्रदर्शन करने पर प्रतिबंध

अवधनामा (12 मार्च) के अनुसार ब्रिटेन की गृह मंत्री शबाना महमूद ने देश में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन करने और मार्च निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध सुरक्षा एजेंसियों की गुप्त रिपोर्ट के आधार पर लगाया गया है। पुलिस ने गृह मंत्री को एक गुप्त रिपोर्ट दी थी कि 'अल-कुद्स दिवस' के मौके पर आयोजित होने वाले प्रदर्शनों के कारण देश की शांति व्यवस्था भंग हो सकती है। शबाना महमूद ने कहा कि कुछ मुस्लिम संगठनों द्वारा रमजान के महीने में

'जुमातुल विदा' (रमजान का आखिरी शुक्रवार) के मौके पर मार्च निकालने की घोषणा की गई थी। गुप्तचर सूत्रों ने दावा किया था कि ये विरोध प्रदर्शन अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर किए गए हमलों के विरोध में और फिलिस्तीन के समर्थन में आयोजित किए जा रहे हैं, जिससे देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरा हो सकता है। इस्लामिक ह्यूमन राइट्स कमीशन (आईएचआरसी) के प्रवक्ता फैसल बोदी ने ब्रिटिश सरकार के इस फैसले की कड़ी निंदा की है और इसे मुसलमानों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बताया है।

समाचारपत्र के अनुसार इन प्रदर्शनों में ब्रिटेन में रहने वाले लाखों मुसलमानों के भाग लेने की संभावना थी। वहीं, इस मार्च के आयोजकों का दावा था कि यह ईरान पर हुए हमलों और फिलिस्तीनियों के पक्ष में माहौल बनाने का एक शांतिपूर्ण प्रयास है। इस प्रतिबंध के बाद आयोजकों ने घोषणा की थी कि वे उग्र विरोध प्रदर्शन नहीं करेंगे, बल्कि एक स्थान पर एकत्र होकर केवल शांति मार्च निकालेंगे, लेकिन पुलिस ने इसकी भी अनुमति नहीं दी। समाचारपत्र के अनुसार 2012 के बाद यह पहली बार है जब ब्रिटेन में किसी विरोध प्रदर्शन पर इस तरह का पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। शबाना महमूद ने कहा है कि "मैं पुलिस की इस रिपोर्ट से संतुष्ट हूं। यह प्रदर्शन समाज में नफरत और विभाजन की भावना को बढ़ावा देगा।" मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने घोषणा की है कि यह प्रतिबंध एक महीने तक प्रभावी रहेगा।

कौमी तंजीम (15 मार्च) के अनुसार नीदरलैंड की राजधानी एम्सटर्डम में एक यहूदी स्कूल में हुए धमाके में स्कूल की इमारत को भारी नुकसान पहुंचा है। हालांकि, इस हमले में किसी भी व्यक्ति के हताहत होने या घायल होने की सूचना नहीं है। एम्सटर्डम की मेयर फेमके हाल्सेमा ने कहा कि यह यहूदी समुदाय के खिलाफ एक कायरतापूर्ण हमला है। इस हमले के बाद पूरे देश में यहूदियों के उपासना स्थलों और संस्थानों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं, बेल्जियम में भी एक यहूदी उपासना स्थल पर पेट्रोल बम फेंका गया है। इन घटनाओं ने यूरोप में बढ़ती यहूदी विरोधी भावना को लेकर सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर डाल दिया है।

कौमी तंजीम (7 मार्च) के अनुसार ब्रिटिश पुलिस ने यहूदियों पर हमले की साजिश रचने के आरोप में चार लोगों को गिरफ्तार किया है। इनका संबंध ईरान के एक जासूसी गिरोह से बताया जाता है। गिरफ्तार किए गए लोगों में एक

ईरानी नागरिक है, जबकि अन्य तीन ईरानी मूल के ब्रिटिश नागरिक हैं। पुलिस के अनुसार इस गिरोह पर काफी समय से निगरानी रखी जा रही थी। ब्रिटेन के उप प्रधानमंत्री डेविड लैमी ने कहा कि ईरान वैश्विक आतंकवाद का एक बड़ा समर्थक है और यह चिंता का विषय है कि अब ईरानी जासूसों ने ब्रिटिश समाज में भी घुसपैठ कर ली है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने घोषणा की है कि देशभर में यहूदी बस्तियों और उपासना स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। ब्रिटिश खुफिया एजेंसी एमआई-5 के प्रमुख ने बताया कि 2022 से 2024 के बीच सुरक्षा एजेंसियों ने देशभर से लगभग 20 ईरानी एजेंटों को गिरफ्तार किया था।

मालदीव में इजरायली नागरिकों के प्रवेश पर प्रतिबंध

इंकलाब (9 मार्च) के अनुसार मालदीव सरकार ने इजरायली पासपोर्ट धारकों के अपने देश में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस संदर्भ में राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने इमिग्रेशन नियमों में संशोधन के लिए एक आदेश जारी किया है। यह फैसला सांसदों की सर्वसम्मति से की गई सिफारिश के बाद लिया गया है। सरकार द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि गाजा में जारी इजरायली सैन्य कार्रवाई और फिलिस्तीनी जनता की स्थिति को देखते हुए विरोध स्वरूप यह कदम उठाया गया है। इजरायल सरकार ने मालदीव सरकार के इस फैसले को भेदभावपूर्ण बताया है।

गौरतलब है कि मालदीव ने पहली बार 1974 में इजरायल के साथ राजनयिक संबंध तोड़े थे। 2014 में इजरायली सैन्य कार्रवाई के खिलाफ इजरायली उत्पादों के बहिष्कार की घोषणा की गई थी। हालांकि, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मालदीव ने इजरायली पर्यटकों को अपने देश में आने की अनुमति दी थी, जिसके परिणामस्वरूप 2023 में लगभग 11 हजार इजरायली पर्यटकों ने मालदीव का दौरा किया था। 2024 में गाजा युद्ध शुरू होने के बाद इजरायली पर्यटकों की संख्या में 88 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई थी।

गौरतलब है कि मालदीव की जीडीपी का लगभग 25 प्रतिशत हिस्सा सीधे तौर पर पर्यटन से आता है। मालदीव की जनसंख्या लगभग पांच लाख 20 हजार है और पर्यटन उनकी आय का मुख्य स्रोत है। इजरायली विदेश मंत्रालय ने अपने नागरिकों को मालदीव की यात्रा न करने और वहां मौजूद नागरिकों को वापस लौटने की सलाह दी है।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प की हत्या की साजिश का खुलासा

उर्दू टाइम्स (6 मार्च) के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की हत्या की साजिश रचने के आरोपी 47 वर्षीय पाकिस्तानी नागरिक आसिफ मर्चेंट ने अदालत में एक बड़ा खुलासा किया है। न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक मर्चेंट ने अमेरिकी अदालत में स्वीकार किया कि ईरानी जासूसों ने उसे ट्रम्प की हत्या की साजिश रचने के लिए मजबूर किया था। यह साजिश ईरानी पासदारान-ए-इंकलाब (आईआरजीसी) के इशारे पर रची गई थी।

समाचारपत्र के अनुसार पूर्व बैंकर आसिफ मर्चेंट ईरान में कुछ समय बिताने के बाद अप्रैल 2024 में पाकिस्तान से अमेरिका आया था। ईरान में उसकी मुलाकात आईआरजीसी के एक सदस्य मेहरदाद यूसुफ से हुई थी। मर्चेंट ने यह भी स्वीकार किया कि उसका परिवार ईरान में रहता है और आईआरजीसी ने उस पर दबाव डाला था कि अगर वह अमेरिकी नेताओं की हत्या की साजिश में शामिल नहीं हुआ तो उसके परिवार को मार दिया जाएगा।

मर्चेंट ने अदालत को बताया कि उसके परिवार की जान खतरे में थी, इसलिए उसे मजबूरी में इस साजिश का हिस्सा बनना पड़ा। उसे निर्देश दिया गया था कि वह अमेरिका में तीन ईरानी जासूसों से संपर्क करे, जो उसे पेशेवर हत्यारों से मिलवाएंगे। आसिफ मर्चेंट जिन लोगों को पेशेवर हत्यारा समझकर मिला, वे असल में एफबीआई के अंडरकवर एजेंट थे। मर्चेंट ने उन्हें राष्ट्रपति ट्रम्प की हत्या के लिए पांच हजार डॉलर का अग्रिम भुगतान भी किया था। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक उसकी योजना अमेरिका छोड़ने के बाद हत्या का अंतिम आदेश देने की थी। हालांकि, एफबीआई ने समय रहते इस साजिश को नाकाम कर दिया और अगस्त 2024 में उसे गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि इस अपराध के लिए मर्चेंट को आजीवन कारावास की सजा हो सकती है।

पश्चिम एशिया

होर्मुज संकट पर दुनिया में अकेले पड़े राष्ट्रपति ट्रम्प

इंकलाब (17 मार्च) के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका के सहयोगी देशों ने होर्मुज जलडमरूमध्य की नाकेबंदी हटाने के लिए अपने युद्धपोत नहीं भेजे तो नाटो का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। वाशिंगटन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि "मैंने सात से अधिक सहयोगी देशों से अपील की है कि वे इस समुद्री मार्ग को खुलवाने के लिए अपनी नौसेना भेजें, क्योंकि इस नाकेबंदी के कारण वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हो रही है।" ट्रम्प ने दावा किया कि अमेरिका अपनी तेल की जरूरतों के लिए इस मार्ग पर निर्भर नहीं है, बल्कि वे इन देशों से इसलिए सहयोग मांग रहे हैं ताकि वे सैन्य दृष्टि से एकजुट होकर अपने हितों की रक्षा करें। उन्होंने चीन का उदाहरण देते हुए कहा कि चीन अपनी जरूरत का 90 प्रतिशत तेल इसी मार्ग से प्राप्त करता है, इसलिए इन सभी देशों को इस क्षेत्र में अपने युद्धपोत, माइन स्वीपर्स और सैनिक तैनात करने चाहिए ताकि ईरानी नाकेबंदी को विफल किया जा सके। खास बात यह है कि राष्ट्रपति ट्रम्प के बार-बार अनुरोध करने के बावजूद अभी तक किसी भी सहयोगी देश ने इस क्षेत्र में अपने युद्धपोत भेजने पर सहमति व्यक्त नहीं की है।

ब्रिटिश अखबार 'द गार्डियन' के अनुसार ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने होर्मुज जलडमरूमध्य क्षेत्र में अपने युद्धपोत भेजने से साफ इनकार कर दिया है। इससे पहले जापान, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस भी अपने युद्धपोत भेजने से इनकार कर चुके हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने कहा कि ब्रिटेन ईरान के साथ युद्ध में अमेरिका का भागीदार नहीं बनेगा। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि ब्रिटेन इस नाकेबंदी को खुलवाने के लिए अन्य वैकिल्पक मार्ग अपना रहा है। स्टार्मर ने कहा कि होर्मुज की नाकेबंदी को खुलवाने के लिए सैन्य कार्रवाई के बजाय बातचीत का रास्ता अपनाना अधिक प्रभावी रहेगा।

जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान वेडफुल ने कहा है कि होर्मुज जलडमरूमध्य को खुलवाने में उन्हें नाटो की कोई भूमिका दिखाई नहीं देती।

उन्होंने कहा कि "मैं नहीं समझता कि इस मामले में नाटो कोई जिम्मेदारी ले सकता है। अगर ऐसा होता तो नाटो संधि में शामिल देश इस संबंध में जरूरी कार्रवाई करते नजर आते।" उन्होंने आगे कहा कि पश्चिम एशिया की अनिश्चित स्थिति के बावजूद यूरोपीय यूनियन की प्राथमिकता अभी भी यूक्रेन है। जर्मन विदेश मंत्री ने कहा कि रूस पर लगे प्रतिबंधों को नरम करना एक गलत नीति है।

एक अन्य समाचार के अनुसार फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने होर्मुज जलडमरूमध्य में अपने सैनिक भेजने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि वे इस समस्या को ईरान के साथ बातचीत के जरिए हल करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी संदर्भ में मैक्रों ने ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से टेलीफोन पर विस्तार से चर्चा भी की है।

आईआरजीसी के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल अहमद वाहिदी ने इस क्षेत्र में 'ऑपरेशन वादा-ए-सादिक-4' शुरू करने की घोषणा की है। इस ऑपरेशन के तहत पश्चिम एशिया में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों और मिसाइल केंद्रों को निशाना बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि ईरान अब तक एक दशक पुरानी मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन अब अत्याधुनिक मिसाइलों से अमेरिका सैन्य ठिकानों और इजरायल पर हमले किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त होर्मुज की नाकेबंदी जारी रखी जाएगी। जनरल वाहिदी ने चुनौती दी है कि अगर अमेरिका में हिम्मत है तो वह इस क्षेत्र में अपने युद्धपोत भेजकर दिखाए। ईरान उन्हें तबाह कर अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब देगा। ग्रीस के सरकारी प्रवक्ता पावलोस मारिनाकिस ने कहा है कि ग्रीस होर्मुज जलडमरूमध्य में किसी भी सैन्य कार्रवाई में शामिल नहीं होगा।

फाइनेंशियल टाइम्स के अनुसार राष्ट्रपति ट्रम्प ने एक इंटरव्यू में कहा है कि अमेरिका ने नाटो पर अरबों डॉलर खर्च किए हैं, लेकिन इसके बावजूद नाटो का कोई भी देश होर्मुज जलडमरूमध्य में अपने युद्धपोत भेजने के लिए तैयार नहीं हैं। उन्होंने कहा कि नाटो संधि का सृजन अमेरिका द्वारा केवल अरबों डॉलर लुटाने के लिए नहीं किया गया था। आखिर उस संधि का क्या लाभ, जब इस संकट काल में कोई भी देश युद्ध में हमारा साथ देने के लिए तैयार नहीं है? उन्होंने चेतावनी दी कि अमेरिका अब नाटो संधि के भविष्य पर पुनर्विचार करेगा।

इंकलाब (18 मार्च) के अनुसार अमेरिकी आतंकवाद निरोधक केंद्र (एनसीटीसी) के निदेशक जो केंट ने राष्ट्रपति ट्रम्प की ईरान नीति के प्रति रोष प्रकट करते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति को भेजे पत्र में केंट ने कहा कि "मैं अपनी अंतरात्मा के विरुद्ध ईरान युद्ध का समर्थन नहीं कर सकता।" गौरतलब है कि पिछले साल जुलाई महीने में ट्रम्प ने जो केंट को इस पद पर नियुक्त किया था और अमेरिकी सीनेट ने भी इसकी पुष्टि की थी। केंट ने अपने इस्तीफे में लिखा है कि ईरान ने अमेरिका के लिए कोई सीधा खतरा पैदा नहीं किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि यह युद्ध इजरायल समर्थक लॉबी के दबाव में शुरू किया गया है।

इसी समाचारपत्र में प्रकाशित एक अन्य समाचार के अनुसार पश्चिम एशिया में अमेरिकी

और इजरायली हमलों के बाद चीन ने ईरान, जॉर्डन, लेबनान और इराक को आपातकालीन सहायता भेजने की घोषणा की है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने बताया कि इस सहायता का उद्देश्य युद्ध पीड़ितों को राहत पहुंचाना और उनकी समस्याओं को कम करना है। अमेरिकी मीडिया ने दावा किया है कि ईरानी विदेश मंत्रालय की ओर से व्हाइट हाउस को युद्ध समाप्त करने के संदेश भेजे गए हैं। इस संबंध में ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची और व्हाइट के एक उच्चाधिकारी के बीच बातचीत हुई है। हालांकि, ईरानी विदेश मंत्री ने इन अमेरिकी दावों को मनगढ़ंत और झूठा करार देते हुए खारिज कर दिया है।

ईरान के खिलाफ युद्ध में अमेरिका का 12 अरब डॉलर खर्च

इंकलाब (17 मार्च) के अनुसार अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने पुष्टि की है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ युद्ध के शुरुआती 12 दिनों में 12 अरब डॉलर खर्च कर चुका है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने संकेत दिया है कि आने वाले दिनों में इस खर्च में और भी बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि अमेरिका इस सैन्य अभियान में और अधिक तेजी लाने की योजना बना रहा है। अमेरिकी मीडिया के अनुसार युद्ध के पहले चार दिनों में ही हथियारों और गोला बारूद पर पांच अरब डॉलर से अधिक की धनराशि खर्च की गई थी। विशेषज्ञों का मानना है कि इस युद्ध का अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर कोई बड़ा नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका अब विश्व का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश बन चुका है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में हो रही बढ़ोतरी का सीधा लाभ अमेरिकी अर्थव्यवस्था को मिल रहा है।

समाचारपत्र के अनुसार अमेरिकी सीनेटर क्रिस वैन होलेन ने चेतावनी दी है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़कर एक नया 'पेंडोरा बॉक्स' खोल दिया है। सीनेटर होलेन ने कहा कि इस युद्ध से अमेरिका को कोई लाभ होने वाला नहीं है, बल्कि देश एक ऐसे मकड़जाल में फंस गया है जिससे बाहर निकलना बेहद कठिन है।

इंकलाब (18 मार्च) के अनुसार ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमलों के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में महंगाई का भारी दबाव देखा जा रहा है। अल जजीरा की एक विशेष रिपोर्ट के अनुसार युद्ध की शुरुआत में कच्चे तेल की कीमत 72 डॉलर प्रति बैरल थी, जो अब बढ़कर 106 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई है। इस तरह से तेल की कीमतों में 40 प्रतिशत की वृद्धि हो चुकी है। एलएनजी के मूल्यों में भी 60 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है। अरब मीडिया के अनुसार दुनिया में कुल तेल व्यापार का लगभग 20 प्रतिशत हिस्सा होर्मुज जलडमरूमध्य के रास्ते गुजरता है। ईरान द्वारा इस महत्त्वपूर्ण जलमार्ग की नाकेबंदी के कारण एशियाई देशों की

अर्थव्यवस्थाओं पर भारी दबाव पड़ा है। वर्तमान में दुनिया के कम-से-कम 85 देशों में पेट्रोल के मूल्य में 50-70 प्रतिशत तक की वृद्धि दर्ज की गई है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए लगभग 60 देशों ने पेट्रोल और गैस की राशनिंग शुरू कर दी है।

अल जजीरा के अनुसार दुनियाभर के शेयर बाजारों में छह से 10 प्रतिशत तक की गिरावट आई है। आर्थिक विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि अगर यह युद्ध लंबा खिंचता है तो यूरोपीय अर्थव्यवस्था की विकास दर में भी छह से 10 प्रतिशत तक की कमी आ सकती है। एशियाई देशों में हवाई किराए में 40-60 प्रतिशत तक की भारी वृद्धि हुई है।

इंकलाब (8 मार्च) के अनुसार अमेरिकी प्रशासन ने इजरायल को 151 मिलियन डॉलर मूल्य के हथियारों की बिक्री की मंजूरी दे दी है। इस सौदे में भारी मात्रा में गोला बारूद और रक्षा उपकरण शामिल हैं। खास बात यह है कि इस सौदे को अमेरिकी कांग्रेस की मंजूरी के लिए पेश नहीं किया गया, बल्कि राष्ट्रपति ने अपनी आपातकालीन शक्तियों का उपयोग करते हुए इसे हरी झंडी दी है। इस आपूर्ति में एक-एक हजार पाउंड के 12 हजार बम बॉडीज शामिल हैं। इसके अतिरिक्त इजरायल को इंजीनियरिंग, लॉजिस्टिक्स और तकनीकी सेवाएं भी प्रदान की जाएंगी। इजरायल ने विशेष रूप से 12 हजार बीएलयू और 111 एबी जनरल पर्पस बम बॉडीज की मांग की थी, जिसे अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने स्वीकार कर लिया है।

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा कि यह फैसला अमेरिकी हित में लिया गया है। हालांकि, डेमोक्रेटिक सांसद ग्रेगरी मीक्स ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति द्वारा कांग्रेस को नजरअंदाज करना अनुचित है। मीक्स ने कहा कि यह इस बात का संकेत है कि सरकार ईरान के खिलाफ युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं थी और अब आनन-फानन में आपातकालीन शक्तियों का सहारा ले रही है, जो राष्ट्रपति के दावों पर संदेह पैदा करता है।

मोजतबा खामेनेई ईरान के नए सर्वोच्च नेता मनोनीत

चट्टान (12 मार्च) के अनुसार अमेरिका और इजरायल के संयुक्त हवाई हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद अब उनके बेटे 56 वर्षीय मोजतबा खामेनेई को ईरान का नया सर्वोच्च नेता चुना गया है। उनका चयन ईरान की असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने किया है। वे 8 सितंबर 1969 को पूर्वी ईरान के शहर मशहद में पैदा हुए थे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है कि नए सर्वोच्च नेता की कोई हैसियत नहीं है। उनके चयन में हमारी कोई राय नहीं ली गई है। अगर वे हमसे मंजूरी नहीं लेते तो वे ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहेंगे।

अमेरिकी राष्ट्रपति के इस बयान पर टिप्पणी करते हुए ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता

ने कहा कि यह फैसला ईरानी जनता का है। उन्होंने कहा कि हम अपने आंतरिक मामलों में दुनिया के किसी भी ताकत को हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं देंगे। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा कि ईरान को युद्ध में धकेलने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति को हमसे माफी मांगनी चाहिए। नए सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई को कट्टरपंथी माना जाता है। वे ईरान की आईआरजीसी से जुड़े रहे हैं। मोजतबा अपने पिता की राय के विपरीत इस बात के समर्थक रहे हैं कि ईरान जल्द से जल्द परमाणु बम बनाए ताकि वह अपनी रक्षा कर सके।

एक अन्य समाचार के अनुसार मोजतबा पिछले दो दशक से ईरान के प्रशासकीय मामलों में सीधे शामिल नहीं रहे हैं। वे खामोशी से काम करते हैं। उनकी सार्वजनिक तस्वीरें और वीडियों बहुत कम हैं। आज तक उन्होंने किसी बड़े चैनल या अखबार को इंटरव्यू नहीं दिया है। यही कारण है कि उनका कोई सार्वजनिक प्रोफाइल नहीं है। खुद अली खामेनेई ने भी यह कहा था कि वे नहीं चाहते कि उनका बेटा उनका उत्तराधिकारी बने। ईरान के उदारवादी नेता शुरुआत से ही मोजतबा के खिलाफ रहे हैं, क्योंकि उनकी नीतियां कट्टरपंथी हैं।

एतेमाद (13 मार्च) के अनुसार अपना पद संभालते ही मोजतबा खामेनेई ने कहा है कि हम होर्मुज जलडमरूमध्य का इस्तेमाल ईरानी हितों के लिए करेंगे और पड़ोसी देशों पर हमले जारी रखेंगे, क्योंकि अमेरिका और इजरायल उनकी भूमि का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ईरान अमेरिका और इजरायल के हमलों में मारी गई मासूम बच्चियों का बदला लेगा और इन देशों को पूरी तरह से तबाह कर देगा। इस क्षेत्र में स्थित अमेरिकी अड्डों पर हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक वे बंद नहीं हो जाते। मोजतबा ने खाड़ी देशों से अपील की है कि वे अमेरिका पर दबाव डालें कि वह इन सैन्य अड्डों को तुरंत बंद करे।

इंकलाब (18 मार्च) के अनुसार विश्व में मोजतबा खामेनेई के बारे में कई तरह की अफवाहें फैल रही हैं। इजरायल ने दावा किया है कि उसके एक हमले में मोजतबा खामेनेई गंभीर रूप से घायल हुए हैं और उनकी हालत नाजुक है। ईरान के एक वरिष्ठ नेता ने कुवैती अखबार 'अल-जरिदा' को बताया कि नए सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई अमेरिका और इजरायल के हमले के पहले ही दिन अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ घायल हो गए थे। इस समय रूस की राजधानी मास्को के एक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस हमले के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से टेलीफोन पर बात करके घायल मोजतबा खामेनेई को इलाज के लिए मास्को भेजने का सुझाव दिया था। रूसी सूत्रों के अनुसार दोनों नेताओं के बीच 10 मार्च को बातचीत हुई थी। इसके बाद एक रूसी विमान तेहरान पहुंचा और वह एक गुप्त हवाई अड्डे से घायल मोजतबा को लेकर मास्को रवाना हो गया। वहां पर रूसी डॉक्टरों ने उनकी सर्जरी की है।

अब वे रूसी प्रधानमंत्री कार्यालय के एक भूमिगत हिस्से में इलाज के बाद आराम कर रहे हैं।

कौमी तंजीम (10 मार्च) ने अपने संपादकीय में कहा है कि ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प की धज्जियां उड़ा दी हैं। अमेरिका ने धमकी दी थी कि ईरान को अपना नया सर्वोच्च नेता उसे चुनना होगा जिसे वह पसंद करता है, अन्यथा जिस भी सर्वोच्च नेता को ईरान चुनेगा उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। इस पर ईरान ने कटाक्ष करते हुए कहा कि ट्रम्प अपनी मर्जी से अपने ही देश के शहर न्यूयॉर्क का मेयर तक नहीं चुन पाए और वे दूसरों को धमकियां दे रहे हैं। अब डरने का वक्त अमेरिका का है। ईरान ने न सिर्फ नए सर्वोच्च नेता को चुना है, बल्कि नए नेता ने अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब भी दे दिया है।

समाचारपत्र ने कहा है कि मोजतबा का संबंध शुरुआत से ही ईरान के ताकतवर संगठन आईआरजीसी से रहा है। वे युवावस्था में ही आईआरजीसी में शामिल हो गए थे। यही कारण है कि आईआरजीसी ने उनके चयन का जोरदार स्वागत किया है। मोजतबा ने 17 वर्ष की उम्र में ईरान-इराक युद्ध के दौरान ईरान की ओर से युद्ध में भाग लिया था। वे एक उच्चकोटि के शिया विद्वान हैं, जिन्हें कोम यूनिवर्सिटी ने 'अयातुल्ला' की पदवी से नवाजा है। कुछ लोग यह आशा करते हैं कि मोजतबा अपने पिता की उदार नीतियों का अनुसरण करेंगे, जबकि अधिकांश लोगों का मानना है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने अमेरिकी-इजरायली हमले में अपने माता-पिता, पत्नी और बच्चे को खो दिया हो और जिसके पास अब खोने के लिए कुछ न बचा हो, वह भला हमलावरों का डटकर सामना क्यों नहीं करेगा?

ईरान का सीजफायर करने से इनकार

इंकलाब (18 मार्च) के अनुसार ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने दो टूक शब्दों में घोषणा की है कि ईरान अमेरिका और इजरायल के सामने किसी भी कीमत पर आत्मसमर्पण नहीं करेगा और आखिरी दम तक युद्ध को जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि ईरान ने अमेरिका और इजरायल के साथ युद्ध शुरू नहीं किया था, बल्कि उस पर यह युद्ध थोपा गया है। उन्होंने मांग की कि पश्चिम एशिया में ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य अड्डों का इस्तेमाल बंद होना चाहिए, क्योंकि इससे ईरान और उसके पड़ोसी देशों के संबंध खराब हो रहे हैं। राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से भी अनुरोध किया है कि जब तक हमें यह आश्वस्त नहीं किया जाता कि भविष्य में ईरान पर कोई हमला नहीं होगा तब तक यह युद्ध जारी रहेगा।

ईरानी सेना के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल अबुलफजल शेकरची ने धमकी दी है कि अगर अमेरिका खर्ग द्वीप स्थित ईरानी तेल भंडारों पर हमला करने के लिए किसी भी देश के सैन्य अड्डे का इस्तेमाल करता है तो ईरानी सेना जवाबी कार्रवाई में उस देश के तेल भंडारों और

अन्य महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को अपना निशाना बनाएगी। उन्होंने कहा कि जब ईरानी सेना किसी मामले पर चेतावनी देती है तो उसे कार्यान्वित भी करती है। गौरतलब है कि खर्ग द्वीप ईरानी तट से 15 समुद्री मील की दूरी पर स्थित है। इस द्वीप पर ईरान के तेल उद्योग से जुड़े कई महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठान स्थित हैं। ईरानी तेल का 90 प्रतिशत हिस्सा इसी द्वीप से निर्यात किया जाता है।

आईआरजीसी के प्रवक्ता ने दावा किया है कि ईरान ने कतर स्थित अमेरिकी अड्डों और इजरायल के आयरन डोम पर हमला किया है। बयान में कहा गया है कि आईआरजीसी ने अल-जुल्फिकार व कियाम जैसी मिसाइलों से कतर स्थित अल-उदैद सैन्य अड्डे को निशाना बनाया है।

एक अन्य समाचार के अनुसार इजरायल ने दावा किया है कि उसने आईआरजीसी के वरिष्ठ कमांडर गुलाम रजा सुलेमानी और ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रमुख अली लारीजानी को मौत के घाट उतार दिया है। ईरान ने भी लारीजानी की मौत की पुष्टि की है।

गौरतलब है कि अली लारीजानी ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव थे। उन्हें ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने अगस्त 2025 में इस पद पर नियुक्त किया था। इसके अतिरिक्त वे इस परिषद में ईरान के सर्वोच्च नेता के स्थाई प्रतिनिधि भी थे। वे 12 वर्षों तक ईरानी संसद के अध्यक्ष भी रहे। उन्हें ईरान में उदारवादी गुट का नेता माना जाता था। उनके भाई सादिक लारीजानी भी ईरानी मिसाइल व्यवस्था में एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण पद पर नियुक्त हैं।

बीबीसी के अनुसार अली लारीजानी 1994 से 2004 तक सरकारी प्रसारण विभाग के प्रमुख भी रहे। इससे पहले वे ईरान के संस्कृति मंत्री भी रह चुके थे। वे एक विख्यात शिया विद्वान अयातुल्ला मिर्जा हाशिम अमोली के बेटे थे। उनके चारों भाई इस्लामी गणराज्य ईरान में महत्त्वपूर्ण पदों पर रहे हैं। उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में भी अपना नामांकन दाखिल किया था, जिसे 'गार्जियन काउंसिल' ने खारिज कर दिया था।

अपनी मृत्यु से पहले अली लारीजानी ने सभी मुस्लिम देशों को एक पत्र लिखा था। इस पत्र में उन्होंने कहा था कि अमेरिका और इजरायल किसी भी मुस्लिम देश के मित्र नहीं हैं। वे सिर्फ मित्र होने का नाटक करते हैं। अमेरिका इजरायल की आड़ में ईरान पर कब्जा करना चाहता है, जिसका ईरान बखूबी जवाब दे रहा है। उन्होंने कहा था कि कुछ मुस्लिम देश इस्लामी भाईचारे का दावा तो करते हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं करते। उन्होंने ईरान के दुश्मनों से हाथ मिला रखा है। उन्होंने कुरान की एक आयत का हवाला देते हुए कहा था- "अगर कोई मुसलमान मदद की पुकार सुने और मदद न करे तो वह सच्चा मुसलमान नहीं है।" उन्होंने अपील की थी कि मुस्लिम देश इस्लामी जगत के भविष्य के बारे में विचार करें। ईरान उनका हितैषी है और वह उन पर कब्जा नहीं करना चाहता, बल्कि केवल 'उम्मत' की एकता स्थापित करना चाहता है।

एक अन्य समाचार के अनुसार कतर के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हमद बिन जासिम बिन जाबेर अल थानी ने कहा है कि अमेरिका और इजरायल ईरान को खाड़ी के अन्य मुस्लिम देशों के साथ लड़वाना चाहते हैं। इजरायली प्रधानमंत्री ने मुसलमानों को खत्म करने के लिए इस क्षेत्र को युद्ध की आग में झोंक दिया है। उन्होंने कहा कि अगर कतर ईरान के खिलाफ युद्ध में शामिल होता है तो अमेरिका उसका साथ नहीं देगा। उन्होंने दावा किया कि कतर ईरान का विश्वसनीय पड़ोसी है और ईरान को इस तथ्य पर ध्यान देना चाहिए।

बहरीन में ईरानी हमलों का वीडियो फैलाने पर पाकिस्तानियों की गिरफ्तारी

इंकलाब (11 मार्च) के अनुसार बहरीन के गृह मंत्रालय ने घोषणा की है कि देश में ईरानी हमलों के वीडियो बनाने और उन्हें सोशल मीडिया पर प्रसारित करने के आरोप में छह लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान मोहम्मद मोएज अकबर, अफजल खान, अहमद मुमताज, अर्सलान अली साजिद, अब्दुल रहमान अब्दुल सत्तार के रूप में हुई है। ये सभी पाकिस्तानी नागरिक हैं, जबकि छठा आरोपी मोहम्मद इसराफिल मीर बांग्लादेशी नागरिक है। सरकार का कहना है कि इन वीडियो से नागरिकों में भय फैला और देश की शांति भंग करने व

सरकार के खिलाफ भड़काने का प्रयास किया गया। इनके खिलाफ अदालत में कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

इंकलाब (13 मार्च) के अनुसार बहरीन सरकार ने आईआरजीसी के लिए जासूसी करने के आरोप में अपने चार नागरिकों को गिरफ्तार किया है। इन पर बहरीन स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डों की संवेदनशील तस्वीरें और गोपनीय जानकारी ईरान भेजने का आरोप है। गिरफ्तार लोगों में मुर्तदा हुसैन अवल (25 वर्ष), अहमद ईसा अल हैकी (34 वर्ष), सारा अब्दुलनबी मरहून (36 वर्ष) और इलियास सलमान मिर्जा (22 वर्ष) शामिल हैं। इस गिरोह का सरगना अली मोहम्मद हसन अल-शेख देश से फरार हो गया है।

इंकलाब (10 मार्च) के अनुसार कतर सरकार ने अफवाह फैलाने के आरोप में 313 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें भारतीय और पाकिस्तानी नागरिक भी शामिल हैं। इन पर कतर पर हुए ईरानी हमलों के वीडियो प्रसारित करने का आरोप है। सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही विश्वास करें और किसी भी अपुष्ट घटना का वीडियो न बनाएं।

इंकलाब (17 मार्च) के अनुसार ईरानी सुरक्षा बलों ने 500 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों का दावा है कि ये लोग इजरायल के लिए जासूसी कर रहे थे और सैन्य अड्डों व विरोध प्रदर्शनों के वीडियो भेज रहे थे। सरकारी न्यूज एजेंसी 'तसनीम' के अनुसार गिरफ्तार किए गए लोगों में 20 सैनिक और सुरक्षा अधिकारी भी शामिल हैं।

एक अन्य समाचार के अनुसार ईरान सरकार ने अमेरिकी सेंट्रल कमांड को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। ईरानी सेना के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल अबुलफजल शेकरची ने अपने लड़ाकों को निर्देश दिया है कि जहां भी अमेरिकी सैनिक दिखाई दें, उन्हें तुरंत गोली मार दी जाए।

RNI No. DELHIN/2017/72722

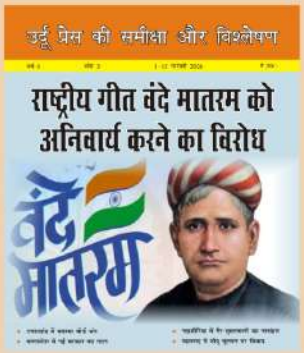

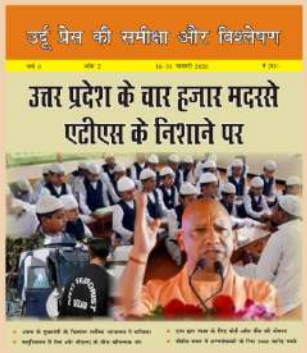

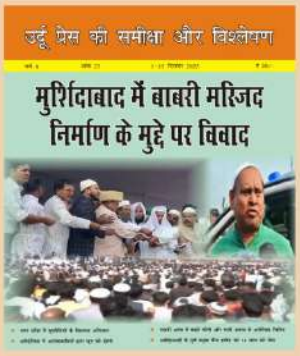

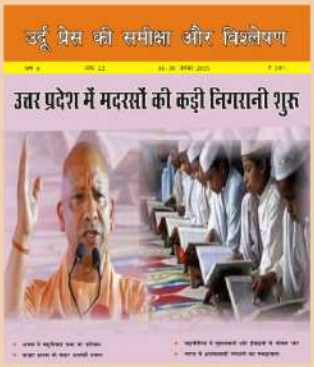

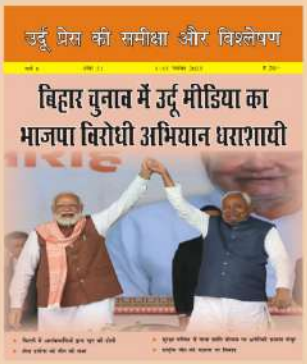

भारत नीति प्रतिष्ठान
India Policy Foundation
डी-51, प्रथम तल, हौजखास, नई दिल्ली-110016
दूरभाष : 011-79687620
ईमेल : info@ipf.org.in, indiapolicy@gmail.com
वेबसाइट : www.ipf.org.in